

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/बेसिक-04/ 77 /04(2)/ से०सं०परि०/2015-16 दिनांक 13 जुलाई, 2015
विज्ञप्ति/सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/ 2013-32(01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 यथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, मा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवावें-2/ 9909-10/स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा 16(1)-ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती हैं इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पाँच वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्राथमिक स्तर) को अंकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन Y क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-पौड़ी

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती इन्दु पुरोहित	रा०प्रा०वि० जाख	नारायणगढ़	चमोली	निजी व्यय
2	श्रीमती सुष्मा रावत	रा०प्रा०वि० शिवानन्दी	अगस्त्यमुनि	रूद्रप्रयाग	औपचारिक

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/बेसिक-04/2206-13 /04(2)/ से०सं०परि०/2015-16 दिनांक उक्तांकित।

- प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
 4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणोपरोन्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - ii) पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - iii) संबंधित अध्यापिका की सेवा पत्रिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुरतिका में चरसा करना सुनिश्चित करें।
 - iv) पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पत्रिका से परीक्षण कर आश्वस्त हो लें कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में संबंधित की पदस्थापना न करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रूद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अध्याहृत नहीं होगा।
- उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भांति गंभीरतापूर्व परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आप पर निर्धारित किया जायेगा।
5. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
 6. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा। (सुष्मा रावत)
 7. संबंधित सहायक अध्यापिका।
 8. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्रा०शि०) 13/7/15
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
AM

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/बेसिक-04/ 76 /04(2)/से०सं०परि०/2015-16 दिनांक 13 जुलाई, 2015

विज्ञप्ति/सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/ 2013-32(01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 यथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, मा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवाये-2/ 9909-10/स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा 16(1)-ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती हैं इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पाँच वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्राथमिक स्तर) को अंकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन Y क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-टिहरी

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती ललिता पन्ना	रा०प्रा०वि० कलौगी	नीमोव	उत्तरकाशी	निजी व्यय
2	श्रीमती निर्मला भद्री	रा०प्रा०वि० न्यूसारी	डुण्डा	उत्तरकाशी	निजी व्यय
3	श्रीमती वास्तीन	रा०प्रा०वि० जयकण्ठी	कर्णप्रयाग	घमौली	निजी व्यय

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पु०सं०/बेसिक-04/2198-2205/04(2)/से०सं०परि०/2015-16 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि :-

- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणोपरोन्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - संबंधित अध्यापिका की सेवा पत्रिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुरतिका में चरपा करना सुनिश्चित करें।
 - पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पत्रिका से परीक्षण कर आश्वस्त हो लें कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में संबंधित की पदस्थापना न करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रुद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अध्याहृत नहीं होगा।
- उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भांति गंभीरतापूर्व परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आप पर निर्धारित किया जायेगा।
- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा।
- संबंधित सहायक अध्यापिका।
- कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/बेसिक-04/74 /04(2)/से०सं०परि०/2015-16 दिनांक 13 जुलाई, 2015

विज्ञप्ति/सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/ 2013-32(01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 यथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, मा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/ 9909-10/स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा 16(1)-ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती हैं इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पौंछ वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्राथमिक स्तर) को अंकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन Y क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-रूद्रप्रयाग

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजु झिक्वाण	रा०प्रा०वि० नगली	गैरसैण	चमोली	निजी व्यय
2	श्रीमती रेखा जोशी	रा०प्रा०वि० गडासु	घाट	चमोली	निजी व्यय

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/बेसिक-04/2/82-89 /04(2)/से०सं०परि०/2015-16 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
 4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणपरोन्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - ii) पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - iii) संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुस्तिका में चरमा करना सुनिश्चित करें।
 - iv) पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से परीक्षण कर आश्वस्त हो लें कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में संबंधित की पदस्थापना न करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रूद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अध्याहृत नहीं होगा।
- उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भांति गंभीरतापूर्व परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आप पर निर्धारित किया जायेगा।
5. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
 6. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा।
 7. संबंधित सहायक अध्यापिका।
 8. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/बेसिक-04/ 75

/04(2)/से०सं०परि०/2015-16 दिनांक 13 जुलाई, 2015

विज्ञप्ति/सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/2013-32(01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 तथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्रावधानानुसार एवं निदेशक, मा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/संवाये-2/9909-10/स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण द्वारा 16(1)-एसी महिला शिक्षिकाएँ जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती हैं इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पाँच वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका की बरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्रथमिक स्तर) को अंकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन Y क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-हरिद्वार

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती इन्दु ध्यानी	रा०प्रा०वि० उदयरामपुर	दुपडडा	पौड़ी	निजी व्यय
2	श्रीमती नीलम नीटियाल	रा०प्रा०वि० बिदारनी	धमकेश्वर	पौड़ी	निजी व्यय
3	श्री प्रमोद कुमार	रा०प्रा०वि० मरडा बुरसोली	एकेश्वर	पौड़ी	औपचारिक
4	श्रीमती ऊषा चौहान	रा०प्रा०वि० तनकिला	बीरोखाल	पौड़ी	निजी व्यय
5	श्रीमती कमलेश सेनी	रा०प्रा०वि० पैटी	नारायणबगड	चमोली	निजी व्यय
6	श्रीमती सरस्वती कुलाश्री	रा०प्रा०वि० तिमली	बीरोखाल	पौड़ी	निजी व्यय
7	श्रीमती रेखा शर्मा	रा०प्रा०वि० पाली	बीरोखाल	पौड़ी	निजी व्यय
8	श्रीमती कुसुमलता धपलियाल	रा०प्रा०वि० निसणी	पाबी	पौड़ी	निजी व्यय
9	श्रीमती बीना ठाकुर	रा०प्रा०वि० मसेटा	एकेश्वर	पौड़ी	निजी व्यय
10	श्रीमती सुनीता	रा०प्रा०वि० कुमाल्डी	रिखणीखाल	पौड़ी	औपचारिक

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पु०सं०/बेसिक-04/ 2190-97 /04(2)/से०सं०परि०/2015-16 दिनांक उक्तान्तित।

प्रतिलिपि :-

- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणोपरोक्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।

ii) पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।

iii) संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुस्तिका में चप्सा करना सुनिश्चित करें।

iv) पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से परीक्षण कर आश्वस्त हो ले कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में संबंधित की पदस्थापना न करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रुढ़प्रमाण जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अध्यापित नहीं होगा।

उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भांति गंभीरतापूर्वक परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की स्थिति में संपूर्ण उत्तराखण्ड आप पर निर्धारित किया जायेगा।

- संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
- संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा।
- संबंधित सहायक अध्यापिका।
- कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

13/7/15

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/बेसिक-04/ 78 /04(2)/सेंसंपरि०/2015-16 दिनांक 13 जुलाई, 2015
विज्ञप्ति/सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/ 2013-32(01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 यथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्रावधानानुसार एवं निदेशक, मा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/ 9909-10/स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा 16(1)-ऐसी महिला शिक्षिकाएँ जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती हैं इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पाँच वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्राथमिक स्तर) को अंकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन Y क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-उत्तरकाशी

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती जशोदा गुसाई	रा०प्रा०वि० घियाकोटी	धौलधार	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
2	श्रीमती अनीता चौहान	रा०प्रा०वि० भण्डाकी	धौलधार	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
3	श्रीमती संगीता चौहान	रा०प्रा०वि० मौला	नारायणबगड	धमोली	निजी व्यय

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/बेसिक-04/2214-21/04(2)/सेंसंपरि०/2015-16 दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणोपरोक्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।

ii) पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।

iii) संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुस्तिका में चर्या करना सुनिश्चित करें।

iv) पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से परीक्षण कर आवश्यक हो लें कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में संबंधित की पदस्थापना न करते हुए अद्योहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रुद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अध्याहृत नहीं होगा।

उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भांति गंभीरतापूर्वक परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आप पर निर्धारित किया जायेगा।

5. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

6. ✓ संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा। *डि.ए.टी.*

7. संबंधित सहायक अध्यापिका।

8. कार्यालय आदेश पत्रावली।

[Signature]
अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/बेसिक-04/74/04(2)/सेंसं०परि०/2015-16 दिनांक 13 जुलाई, 2015

विज्ञप्ति/सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/2013-32(01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 यथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्राविधानानुसार एवं निदेशक, मा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवायें-2/9909-10/स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा 16(1)-ऐसी महिला शिक्षिकायें जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती हैं इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पाँच वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्राथमिक स्तर) को अंकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन Y क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-रूद्रप्रयाग

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6
1	श्रीमती अंजु झिंझाण	रा०प्रा०वि० नगली	गैरसीण	धनोली	निजी व्यय
2	श्रीमती रेखा जोशी	रा०प्रा०वि० गंडासु	घाट	धनोली	निजी व्यय

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/बेसिक-04/2182-89/04(2)/सेंसं०परि०/2015-16 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
 4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणोपरोन्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - ii) पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - iii) संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुरितका में चरपा करना सुनिश्चित करें।
 - iv) पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पंजिका से परीक्षण कर आवश्यक हो लें कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में संबंधित की पदस्थापना न करते हुए अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रूद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अध्याहृत नहीं होगा।
- उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भांति गंभीरतापूर्व परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आप पर निर्धारित किया जायेगा।
5. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
 6. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा।
 7. संबंधित सहायक अध्यापिका।
 8. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय : अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/बैसिक-04/ 73 /04(2)/सं०सं०परि०/2015-16 दिनांक 13 जुलाई, 2015

विज्ञापित/सेवा संवर्ग परिवर्तन

उत्तराखण्ड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-(A)/XXIV-2/2013-32 (01)/2013 देहरादून दिनांक 21 मई, 2013 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली-2013 यथा संशोधित-2014 में उल्लिखित प्रावधानानुसार एवं निदेशक, मा०शि०, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/सेवायै-2/9909-10/स्था०/2015-16 दिनांक 06 जुलाई, 2015 के अनुपालन में नियमावली की सेवा संवर्ग में स्थानान्तरण धारा 16(1)-ऐसी महिला शिक्षिकाएँ जो विवाह के पश्चात अपने पति के गृह जनपद अथवा पति के शासकीय सेवा में होने पर पति के तैनाती जनपद में जाना चाहती हैं इस प्रतिबंध के साथ की संबंधित शिक्षिका ने वर्तमान कार्यस्थल के जनपद में पाँच वर्ष सेवा पूर्ण कर ली हो उन्हें पद उपलब्धता पर अपने संवर्ग परिवर्तन में सम्पूर्ण सेवा काल में एक बार छूट दी जायेगी। सम्बन्धित अध्यापक/अध्यापिका की वरिष्ठता संवर्ग परिवर्तन/स्थानान्तरित जनपद में कार्यरत कनिष्ठतम अध्यापक के ठीक बाद निर्धारित होगी। निम्नांकित पात्र सहायक अध्यापिकाओं (प्रारम्भिक स्तर) को अंकित जनपद में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनुरोध के आधार पर संवर्ग परिवर्तन Y क्षेत्र में किया जाता है।

यदि किसी शिक्षिका द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो संबंधित शिक्षिका का सेवा संवर्ग परिवर्तन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। सेवा संवर्ग की दशा में कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।

संवर्ग परिवर्तित जनपद का नाम-देहरादून

क्र० सं०	सहायक अध्यापिका का नाम	वर्तमान कार्यरत विद्यालय का नाम	विकासखण्ड	जनपद	अन्य विवरण
1	श्रीमती सरला कोठारी	रा०प्रा०वि० खुमर	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग	निजी व्यय
2	श्रीमती राजेश्वरी अरुणाल	रा०प्रा०वि० मैलुडा	भटवाड़ी	उत्तरकाशी	निजी व्यय
3	श्रीमती सुनीता भंडारी	रा०प्रा०वि० बडी मणी	चिन्वालीसौठ	उत्तरकाशी	निजी व्यय
4	श्रीमती मंजू राजपूत	रा०प्रा०वि० खीलकण्ठी	दुमड़ा	पौड़ी	निजी व्यय
5	श्रीमती नीलम कुमारे	रा०प्रा०वि० डा : 1 की रेली	जीनपुर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
6	श्रीमती उषा गुमाई	रा०प्रा०वि० देवका बागी	देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
7	श्रीमती बशीरत पाल	रा०प्रा०वि० डालवाला	नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
8	श्रीमती निशा किशवान	रा०प्रा०वि० धारी	नीगाँव	उत्तरकाशी	निजी व्यय
9	श्रीमती विजया बिष्ट	रा०प्रा०वि० किरकोटी	कर्णप्रयाग	धर्मौली	निजी व्यय
10	श्रीमती कविता त्रिवेदी	रा०प्रा०वि० रुद्रगढ़	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग	निजी व्यय
11	श्रीमती रेखा राजत	रा०प्रा०वि० कोटी	खिर	पौड़ी	निजी व्यय
12	श्रीमती रजना नेगी	रा०प्रा०वि० केवल	पौड़ी	पौड़ी	निजी व्यय
13	श्रीमती शम्मी भारद्वाज	रा०प्रा०वि० अगटा	नीगाँव	उत्तरकाशी	निजी व्यय
14	श्रीमती पूनम रानी	रा०प्रा०वि० पुरसौलगाँव	धम्बा	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
15	श्रीमती सरोजनी भट्ट	रा०प्रा०वि० अमाला	नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
16	श्रीमती शीमा पाल	रा०प्रा०वि० लोयल	नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
17	श्रीमती लता रानी	रा०प्रा०वि० जैम	जीनपुर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
18	श्रीमती रेखा देवी	रा०प्रा०वि० बेथी	पुरीला	उत्तरकाशी	अपेक्षित
19	श्रीमती हसीना जैदी	रा०प्रा०वि० पासी	नीगाँव	उत्तरकाशी	निजी व्यय
20	श्रीमती सुधमा नेगी	रा०प्रा०वि० दासी	बगहेरवर	पौड़ी	निजी व्यय
21	श्रीमती शोभा मन्दवाल	रा०प्रा०वि० बमठी	पौड़ी	पौड़ी	निजी व्यय
22	श्रीमती अरुण पन्ना	रा०प्रा०वि० आकापुरी	धर्मौली	धर्मौली	निजी व्यय
23	श्रीमती अन्नू जोशी	रा०प्रा०वि० बैनाली	कर्णप्रयाग	धर्मौली	निजी व्यय
24	श्रीमती सरोजिता धर्माचार्य	रा०प्रा०वि० बाड़ा	अगस्त्यगुनि	रूद्रप्रयाग	निजी व्यय
25	श्रीमती कमला खनेड़ा	रा०प्रा०वि० आखोडखेत	घाट	धर्मौली	निजी व्यय
26	श्रीमती हेमा रतुड़ी	रा०प्रा०वि० नगरकोटियाणा	नारायणबगड़	धर्मौली	निजी व्यय
27	श्रीमती कान्ती कुशुला	रा०प्रा०वि० हिण्डौलावाल	नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
28	श्रीमती दीपा रानी	रा०प्रा०वि० टिकरी	जीनपुर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
29	श्रीमती सुधमा वर्मा	रा०प्रा०वि० कुदौक	जीनपुर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
30	श्रीमती सुनीता कण्ठारी	रा०प्रा०वि० बरनाली	धीलवार	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
31	श्रीमती ज्ञानदेई महन्त	रा०प्रा०वि० करनाली	नीगाँव	उत्तरकाशी	निजी व्यय
32	श्रीमती अनीता राजा	रा०प्रा०वि० मातली	दुण्डा	उत्तरकाशी	निजी व्यय
33	श्रीमती अंजना उमियाल	रा०प्रा०वि० गोशिल	देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
34	श्रीमती मीना चिन्डियाल	रा०प्रा०वि० मुनि की रेली	नरेन्द्रनगर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
35	श्रीमती शिल्पी नौडियाल	रा०प्रा०वि० दरमौला	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग	निजी व्यय

(3) 2/1 6/1

36	श्रीमती ममता जोशी	रा०प्रा०वि० श्रीकोट	देवप्रयाग	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
37	श्रीमती विजय लक्ष्मी मुखर्जी	रा०प्रा०वि० श्रीशम्भूदादी	नरेश्वरनगर	टिहरी गढ़वाल	निजी व्यय
38	श्रीमती रुक्मिणी	रा०प्रा०वि० अरुसी	जोशीमठ	घमोली	निजी व्यय
39	श्रीमती अनीता चौहान	रा०प्रा०वि० गढ़ोली	नरेश्वर	घमोली	निजी व्यय
40	श्रीमती ललिता खाली	रा०प्रा०वि० सुभाषनगर	दशोली	घमोली	निजी व्यय

अपर निदेशक (प्रा०शि०)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पु०सं०/बेसिक-04/2174-81/से०सं०परि०/2015-16 दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का परीक्षणोपरोन्त अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
 - i) पति के गृह जनपद के प्रमाण के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र अवलोकित करते हुए प्रमाणित छायाप्रति लेने के उपरांत ही संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना सुनिश्चित करें।
 - ii) पति के शासकीय सेवा में कार्यरत होने के फलस्वरूप संवर्ग परिवर्तन करने वाली संबंधित अध्यापिका से पति के शासकीय सेवा में होने का प्रमाण पत्र पति के विभागीय सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हो के उपरांत ही पदस्थापना करना सुनिश्चित करें।
 - iii) संबंधित अध्यापिका की सेवा पत्रिका से सेवा संवर्ग परिवर्तन की प्रविष्टि करने के उपरांत उक्त आदेश की प्रति संबंधित अध्यापिका की सेवा पुस्तिका में चरपा करना सुनिश्चित करें।
 - iv) पदस्थापना करने से पूर्व संबंधित अध्यापिका की सेवा पत्रिका से परीक्षण कर आश्वस्त हो लें कि संबंधित अध्यापिका के द्वारा पूर्व में जनपद संवर्ग परिवर्तित तो नहीं किया गया है। संवर्ग परिवर्तन की स्थिति में संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना न करते हुए अध्यापिका को तत्काल सूचित करना सुनिश्चित करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी देख ले कि रुद्रप्रयाग जनपद गठन के फलस्वरूप यदि संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन विकल्प के आधार पर हुआ है तो उक्त प्रकार की संबंधित अध्यापिका का जनपद परिवर्तन संवर्ग परिवर्तन में अध्यापिका नहीं होगा।
 उक्त दिये गये निर्देशों का भली-भांति गंभीरतापूर्व परीक्षण करते हुए संबंधित अध्यापिका की पदस्थापना करना सुनिश्चित करें। अन्यथा (चूक) की स्थिति में संपूर्ण उत्तरदायित्व आप पर निर्धारित किया जायेगा।
5. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित उप शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक शिक्षा।
7. संबंधित सहायक अध्यापिका।
8. कार्यालय आदेश पत्रावली।

अपर निदेशक (प्रा०शि०) 09/07/15
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।